

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(16) राज/वाद/08

जयपुर दिनांक 12.02.21

:: आदेश ::

श्री फरजन्द अली, राजकीय अधिवक्ता कम अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं श्री राजेन्द्र यादव, राजकीय अधिवक्ता कम अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर के नियुक्ति आदेश क्रमांक प.12(16)राज/वाद/08 दिनांक 07.01.2019 क्रमशः में निम्नलिखित सेवा शर्त अतिरिक्त रूप से एतद्वारा समाविष्ट की जाती है:-

“अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में कोई विशेष मामले जो अधिक प्रतिष्ठा युक्त अथवा अधिक मूल्यांकन का होगा तो उसमें राज्य सरकार, यदि चाहे तो, उन्हें विशेष रूप से अधिक राशि फीस के रूप में संदाय कर सकती है।”

उक्त सेवाशर्त उनके नियुक्ति आदेश दिनांक 17.01.2019 से प्रभावी होगी।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 विधि मंत्री/मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/जिलाधीश/विभागाध्यक्ष /सचिवालय के समस्त विभाग।
3. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर।
4. समस्त अति. महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
5. राजकीय अधिवक्ता/गवर्नमेंट काउन्सिल, जयपुर/जोधपुर।
6. समस्त अति0 महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
7. संबंधित अधिवक्ता।
8. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राज0 जयपुर को राज पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
10. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
11. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
12. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
13. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
14. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी।
15. कोषाधिकारी, जयपुर/जोधपुर।
16. लेखा शाखा, विधि विभाग।
17. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
18. रक्षित पत्रावली।

(मधुसूदन शर्मा)
विशिष्ट शासन सचिव, विधि